सुगना बनाम सरकार

मु०नं० 239/2025

04/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०
पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब ...FDR... हेतु
दिनांक 24/11/2025 को पेश हो।

24/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०
पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब FDR हेतु
दिनांक 28/11/2025 को पेश हो।

28/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप०। वकील वादी व पेशकार सरकार की बहस सुनी गई।
वकील वादी ने अपनी बहस में प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि जिसके नवीन ख०नं० 89 रकबा 1.2700 है०- ग्राम कूदा पटवार हल्का महंगी तहसील आंधी जिला जयपुर वादी के नाम से गैरखातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर वादी का कब्जा रहा है। लेकिन उक्त गैर खातेदारी भूमि का खातेदारी का नामान्तकरण वादी के हक में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार वादग्रस्त भूमि अर्से दराज पूर्व ही खातेदारी में अंकित हो जानी चाहिये थी। लेकिन प्रतिवादी स०१ ने खातेदारी दर्ज न कर विधिक भूल की है। अतः वाद डिक्री

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़,जिला जयपुर

सुज्या बनाम सरकार

मुकदमा नम्बर मु.नं. 237/2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	किया जाकर ग्राम कुदा पचार हल्का महंगी तहसील आंधी जयपुर में स्थित भूमि ख.न. 89 रकबा 1.2700 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार अमल किया जावे। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए कहा कि वादांकित भूमि ख०न० 89 रकबा 1.27 है० सूज्या पुत्र भूरा जाति गुसाई हिस्सा सम्पूर्ण गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त भूमि के आंशिक भू-भाग पर अन्य खातेदारान का कब्जा है। जबकि शेष भूमि मौके पर पड़त है जिस पर वादीगण द्वारा बाड़-डोल की हुई है। उक्त नामान्तकरण सं०-108 दिनांक 16/11/78 द्वारा वादीगण के नाम गैरखातेदारी दर्ज हुई है। उभय पक्षों की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन पर यह स्पष्ट होता है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा साबित नहीं है। कब्जे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। अतः वाद के वाद को कब्जे न होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार आंधी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त भूमि की 15(5) की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार को पालनार्थ हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)